गुरु विरजानन्द [illegible]
24H07 ओ३म् सन्दर्भ पुस्तकालय
पु परिग्रहण क्रमांक 1707
[illegible]
6-17
482

शास्त्रार्थ किराणा ॥

(ज़िला, मुज़फ़्फ़रनगर)

जो १५ दिसम्बर से १९ दिसम्बर सन् ९३ ई० तक
आर्यों तथा हिन्दुओं के मध्य हुवा

"भजनेन्दु" । इस पुस्तक में उत्तम २ भजन, बारह मासे, ठुमरी,
लावनी, आरती, हैं ४८ पृष्ठ का पुस्तक है मूल्य ~)
"रामायण का आल्हा" पहलीबार बालचरित्र श्री रामचन्द्र मू०)॥।
पता—पं० छुट्टनलाल स्वामी—परीक्षितगढ़ जिला, मेरठ के पास

सरस्वतीयन्त्रालय में मुद्रित हुवा

प्रयाग नगर में

ता० २१ । २ । ९६ से पुस्तक मंगाने वाले इटावा को पत्र भेजें

सन् १८९४ ई०

प्रथम बार ५००

ओ३म्

यह "किराणाशास्त्रार्थ" इस विषय में हुवा है कि मन्त्रसंहिता ही वेद हैं वा ब्राह्मणग्रन्थ भी वेद हैं इस में मुख्य ६ प्रश्न धर्मसभा के पण्डित ने किये थे जिन का उत्तर आर्य्य पण्डित ने दिया था परन्तु जो लोग मन्त्रसंहिता और ब्राह्मणग्रन्थविषयक विवाद का पूरा २ निश्चय जानना चाहें वे पं० तुलसीराम स्वामी कृत पुस्तक "ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दूपरागे द्वितीयोंऽशः" को मंगा कर देखें इस में धर्मसभा के ७१ प्रश्नों का उत्तर है मोल -)॥।

मिलने का पता—पं० तुलसीराम वा छुट्टनलाल स्वामी
(परीक्षितगढ़) जिला मेरठ

हम ब्राह्मण जाति की उन्नति के अर्थ "ब्रह्मर्षिसमाचार" नामक मासिकपत्र निकालना चाहते हैं मोल १) साल रहेगा जो ब्राह्मण अपनी जाति का हित चाहते हैं वे अभी एक पोस्टकार्ड पर यह लिख भेजें कि हम भी "ब्रह्मर्षिसमाचार" को खरीदें गे. १०० ग्राहक होने पर पत्र निकलेगा.

ब्राह्मणों का सेवक.
छुट्टनलाल स्वामी

ओ३म्

अथ शास्त्रार्थ किराणा ॥

विदित हो कि मैं जो प्रायः किराणा में उपदेशार्थ जाया करता था और उपदेश वैदिकधर्म का किया करता था एक बार जब कि मैं बाज़ार में उपदेश कर रहा था पण्डितों ने एक चिट्ठी भेजी यथाः—

पत्री—आप की इच्छा कुछ मुर्त्तिविषयक शास्त्रार्थ पै हो तब आप कर अपणे मन का संदेह कहो हम वेद से मूर्त्तिपूजन निश्चय करे देते हैं आप को शुभं भूयात्। हस्ताक्षर पं० किशोरीलाल के पंडित जी हरिवंशलाल जी कि तरफ़ से

मैंने उत्तर दिया कि—

प्रणाम करता हूं. जो आपने अश्मार्चन में वेद से निर्णय करा है सो पत्र द्वारा भेज दीजिये खंडन के सबूत हम पत्रद्वारा भेज देंगे—

इस पर किसी ने कुछ लेख न दिया परन्तु जुबानी यह निश्चय रहा कि १५ दिसम्बर सन् ९३ को उभय पक्ष वाले अपने २ पण्डितों को बुलायें गे तब शास्त्रार्थ होगा. तिस पर आर्य्यसमाज बनत की ओर से मैंने निम्नलिखित नियमों का पत्र रजिस्टरी करा कर पण्डितों के पास भेज दिया. यथाः—

(उर्दू से नक़ल तर्जुमा)

ओ३म्

विदित हो कि कुछ आर्य्य और कुछ हिन्दुओं के दरमियान यह स्थिर हुवा कि प्रथम [प्रतिमापूजन] द्वितीय [पितृकर्म] का शास्त्रार्थ केवल वेदसंहिताओं के प्रमाणों से किया जाय और सब को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सिद्ध कर दिया जाय कि [प्रतिमापूजन] और मरे हुए को [पितर] मान कर उस का कर्म करना जैसा कि अविद्वानों के कारण आज कल प्रचरित है वेद संहिताओं से सिद्ध होता है वा नहीं इस प्रयोजन से इस शास्त्रार्थ को नियमानुसार करने के लिये और सब को इस शास्त्रार्थ से सत्य के फल प्राप्त होने के अभिप्राय से यह नियम स्थिर हुवे हैं ॥ इस शास्त्रार्थ का प्रबन्ध करने के लिये एक वा दो सहाशय प्रधान नियत हो कर उन को ये अधिकार दिये जायंगे. और निम्न नियमानुकूल शास्त्रार्थ होगा—

१—समस्त शास्त्रार्थ लिखता और लिखवाता जाय—

२–ऐसे पूर्वोत्तर (उपरोक्त) पक्षियों के प्रत्येक लेख पर दोनों के हस्ताक्षर करा लेवें–

३–प्रत्येक पक्ष के कथन को वक्ता के द्वारा सब प्रकार से समझ जो योग्य वार्त्तालाप होगा वक्ता की भाषा में लिखा जायगा—

४–आवश्यक व्यवस्था प्राप्त कर ले जिस से संपूर्ण तात्पर्य्य पूरा २ प्रकट हो जाय–

५–उक्त नियमानुसार पूर्वपक्षी से पूंछ कर वह आवश्यक बातें जो उचित प्रतीत हों लिख लेवे—

६–ऐसी समस्त बातें जो सभा के प्रबन्ध में हानिकारक प्रतीत हों उन के रोकने के लिये प्रधान स्वयं इच्छानुसार उत्तम प्रबन्ध कर लेवे—

७–प्रत्येक प्रश्नोत्तर पत्र की ३ प्रति (कापी) करा कर एक २ दोनों पक्षवालों को दी जायंगी और एक प्रधान के पास रहेगी. प्रधान, कापियों पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करा लेवें गे और अपनी कापी पर भी उभयपक्ष के हस्ताक्षर करालेवें गे अपने भी हस्ताक्षर तीनों प्रतियों पर कर देंगे—

८–समस्त लेख और समस्त शास्त्रार्थ मातृभाषा (आमफ़हम) में होगा. परन्तु प्रमाण उसी भाषा में दिये जायंगे जिस में कि वे उपस्थित होंगे —

९–वेदसंहिताओं से भिन्न पुस्तकों का प्रमाण अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये हिन्दू पण्डितों को अधिकार न होगा कि दें—क्योंकि आर्य्यगण वेदातिरिक्त किसी पुस्तक को नहीं मानते परन्तु अपने किये हुवे अर्थों के साक्षी में केवल—शतपथ, ऐतरेय' साम, गोपथ, निघण्टु और निरुक्त का ही प्रमाण प्रस्तुत करें गे अन्यथा अर्थ अशुद्ध माना जायगा. ॥ और आर्य्य पण्डितों को अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिये वेदसंहिताओं से लेकर समस्त ग्रन्थों के प्रमाण देने का अधिकार होगा. क्योंकि हिन्दू पण्डित वेद तथा अन्य सब ग्रन्थों को भी मानते हैं–

१०–उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त युक्ति अर्थात् माऊकूलियात से प्रतिज्ञा के सिद्ध करने के लिये प्रत्येक पक्ष को अधिकार होगा परन्तु प्रधान जिन २ युक्तियों को योग्य समझेगा लिखवाया करे गा—

११–शास्त्रार्थ इस प्रकार आरम्भ होगा कि प्रथम प्रश्नकर्त्ता अपने पक्ष अर्थात् प्रतिज्ञा के सिद्ध करने में जितने प्रमाण रखता होगा सम्पूर्ण कह कर लिख देगा तदनन्तर उत्तरपक्षी, सम्पूर्ण प्रमाण जो पूर्वपक्षी के खण्डन में जानता हो उसी प्रकार कह कर वह भी लिख देगा—

१२–प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नान्त जहां तक इच्छा हो उत्तरपक्षी का उत्तर होगा—जब तक वह पक्ष समाप्त न हो शास्त्रार्थ होता रहे गा परन्तु प्रधान को पक्षपात देखकर वा शास्त्रार्थ के तात्पर्य्य का बोध हो कर शास्त्रार्थ बन्द कराने का अधिकार होगा––

१३–शास्त्रार्थ होने के पश्चात् सम्पूर्ण शास्त्रार्थ छापा जायगा. इस शास्त्रार्थ के लिये सबको उचित होगा कि अपनी २ सम्मत्यनुसार तात्पर्य्य निकाल लेवें–

१४–प्रत्येक पक्ष की ओर से पांच ५ से अधिक सम्भाषणकर्त्ता न होंगे और उन के नाम शास्त्रार्थ करने से पूर्व प्रधान को लिखादिये जांयगे और प्रधान प्रतिपक्षी को एक दूसरे के नाम बतादें गे–और कमी का अधिकार है––

१५–उन पांच महाशयों के अतिरिक्त जो शास्त्रार्थ के लिये नियत किये जांयगे अन्य पुरुषों को बोलने का अधिकार न होगा और एक समय में एक से अधिक महाशय न बोल सकेंगे अन्य सहायक पुरुषों को सम्मति देने मात्र का अधिकार होगा. सो एक प्रश्नोत्तर में दस मिनट पर्य्यन्त तीन बार तक अर्थात् एक २ सम्मति देने में दस २ मिनट का समय सम्मति देने के लिये दिया जायगा अधिक नहीं–

१६–जब किसी पक्षवाले को अपना सहायक बदलने की आवश्यकता हो तो नवीन सहायक को पूर्व महाशय के प्रथम कथन का भार अपने ऊपर लेना होगा. अर्थात् पूर्व सहायक के प्रश्नोत्तर का भी उत्तरदाता होगा. प्रत्येक पक्ष अपने पक्षवालों में से निर्वाचित महाशय को सहायक नियत करेगा अन्य को नहीं और सहायक नियत करने का प्रत्येक पक्ष को अधिकार होगा।

१७–यदि दोनों की ओर से कोई किसी प्रकार का अपशब्द यानी ख़िलाफ़ तह-ज़ीब का प्रयोग करेगा या किसी प्रकार कोई यत्न नियम विरुद्ध करे तो सभापति स्वयं वा किसी पक्ष की प्रार्थना पर प्रथम रोक दे दूसरी बार ऐसा होने पर इच्छानुसार प्रबन्ध करे।

१८–जब तक शास्त्रार्थ उक्त दोनों विषयों पर होता रहेगा अर्थात् आरम्भ से समाप्ति पर्य्यन्त अन्य किसी विषय पर शास्त्रार्थ न होगा और न करने का अधिकार किसी पक्ष को कदाचित् भी होगा. शास्त्रार्थ के पश्चात् सभापति की आज्ञानुसार अन्य विषय पर होगा. यदि आज्ञा न होगी तो न होगा।

१९–प्रत्येक पक्ष को अपने शब्द प्रमाण युक्ति से और युक्ति को शब्दप्रमाण से

मिला देना होगा. अन्यथा जिस पक्ष की पुष्टि उक्त नियम के प्रतिकूल होगी उसी समय प्रधान महाशय उस के कथन को निष्फल समझ कर उस को रोक देंगे ।

२०—जो २ लोग शास्त्रार्थ करेंगे उन २ को प्रथम स्पष्ट तथा लेखद्वारा यह प्रकट कर देना होगा कि हम अमुक २ देवता की प्रतिमा बना कर पूजना अपना धर्म समझते हैं और यह भी सिद्ध करना होगा कि पीतल, चांदी, सोना, काष्ठ और पाषाणादि की मूर्त्ति बना कर पूजने में यह फल है और न पूजने में यह दोष है और उन के निर्माण की रीति परिमाण सहित और तौल सहित इत्यादि २ और यह सब बातें वेदसंहिताओं से सिद्ध करनी होंगीं यह नियम धर्मसभा के पण्डितों के लिये है और जो निराकार अद्वितीय व्यापक ब्रह्म ही की उपासना धर्म समझते हैं उन को यह सिद्ध करना होगा कि प्रथम, ईश्वर के गुण द्वितीय इस विषय की ईश्वर की प्रतिमा नहीं, तृतीय, यह कि वेद में प्रतिमापूजन का निषेध है और जिस का पक्ष वेद से विवरणपूर्वक स्पष्ट सिद्ध न होगा. वही पक्ष पराजित समझा जायगा और उभयपक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि अपनी प्रतिज्ञा को अत्युत्तम रीति से सिद्ध करेगा. और अपर पक्ष को निषिद्ध करेगा. अर्थात् दोनों पक्ष वाले अपने २ पक्ष के दोषों को हटावें और प्रतिवादी के पक्ष में प्रश्न करके दोष खड़े करते जांय इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं और माना जायगा. अतएव अन्य सब विषय इसी रीति पर स्पष्टतया सिद्ध करना होगा. परन्तु प्रथम मूर्त्तिपूजन पर शास्त्रार्थारम्भ होगा क्योंकि यह विषय अन्य सब विषयों में मुख्य, तथा प्रसिद्ध है अन्य सब विषय इस की शाखा हैं और इसी पर हिन्दूधर्म निर्भर है ।

२१—और शास्त्रार्थकर्त्ता, मन्त्री, प्रधान समाज तथा सभा के अतिरिक्ति अन्य जिस किसी को सभापति सभा में आने की आज्ञा टिकट द्वारा वा अन्य किसी प्रकार से देगा वह आ सकेगा. अन्य नहीं क्योंकि उस सभा का भार उस के ऊपर है ।

(नक़ल) रामकृष्ण मन्त्री आर्य्यसमाज बनत

वक्तव्य—दिसंबर बारह १२ को उक्त नियम और निम्नलिखित पत्र भी आर्य्य ने भेजा. यथाः—(नक़ल उर्दू से तर्जुमा)

ओ३म्

आज दफ्तर आर्य्यसमाज बनत १२ बारह दिसम्बर सन् ९३ ई०

श्रीमान् श्रीयुत पण्डित हरवंशलाल साहब वगैरह नमस्ते. आप की सेवा में निवेदन है जो कि चिट्ठी आप की हमारे पास बिनावर शास्त्रार्थ प्रतिमापूजन के बारे में आई है बरतबक़ उस के हम आर्य्यगण बमूजिब क़वायद मुबाहसे मुजब्बिज़े मुरसिले ख़िदमत वाला करने को साथ निहायत खुशी के तैयार हैं १५ या १६ दिसम्बर तक. और निज़ तारीख़ मज़कूरे की बज़रिये इश्तहारात् मुश्तहर करा चुके हैं कि जिसकी आप को बखूबी इत्तिला है अब आप को मजीद चिट्ठी के इत्तिला देता हूं कि मैं ता० मज़कूरे को ज़रूर वा ज़रूरमये पं० श्रीभीमसेन शार्म्मा व श्री पं० स्वामी तुलसीराम शर्मा हाज़िर हूंगा आप मंजूरी क़वायद मुबाहसा वनीज़ शास्त्रार्थ ब वापिसी डाक इत्तिला फ़रमाइयेगा· वरने यह साफ़ मान लिया जावेगा कि वेदसंहिताओं में मूर्त्तिपूजन नहीं है और शाये कारावा जावेगा. लेकिन यह बात मंजूर हो सक्ती है कि अगर बिलफ़ैल आप के पास सामग्री शास्त्रार्थ के मुतल्लिक मौजूद न हो तो और कोई तारीख़ बजाय इस के मुक़र्रिर करके ब वापिसी डाक मुझ को इत्तिला दो और यह भी वाज़े हो कि मुक़ाम सभा का भी आप ही मुक़र्रिर फ़रमाइयेगा और ज़िम्मेवार आप ही हेंगे लेकिन दरसूरत न करने शास्त्रार्थ के हार आप की मानी जावेगी.जब तक जबाब चिट्ठी का न आयेगा पण्डित लोग बतन मुक़ीम रहेंगे दर सूरत न होने शास्त्रार्थ के आप को सब ख़र्चा पण्डितान् का देना होगा क्योंकि अव्वल चिट्ठी तुम्हारी भेजी हुई है और दफ्तर आर्य्यसमाज में मौजूद है—

रामकृष्ण मन्त्री आ० स० बनत

वक्तव्य—इस पत्र का उत्तर ता० १५ तक नहीं आया न नियमों का स्वीकारास्वीकार भेजा परन्तु—श्रीमान् पं० तुलसीराम स्वामी उपदेशक आर्य्यप्रतिनिधि पश्चिमोत्तरदेश तथा अवध तो ता० १४ दिसम्बर को ही क़सबे [किराणा] में उपस्थित होगये क्योंकि उन को १५ तारीख़ के शास्त्रार्थ की सूचना थी और श्रीमान् पं० गोविन्दसहाय शर्म्मा उपदेशक आर्योपप्रतिनिधिसभा मेरठ प्रान्त भी ता० १५ के प्रातःकाल ही [किराणा] में उपस्थित हो गये परन्तु पौराणिक पक्ष में बाहर से जो पण्डित आने वाले थे कोई नहीं आया. हम ने प्रसिद्ध कर दिया कि हमारे पण्डित नियत तिथि पर शास्त्रार्थ करने को उपस्थित हैं और

पौराणिकपक्ष का कोई पण्डित १५ ता० के सायङ्काल तक भी नहीं आया अस्तु अब १५ ता० व्यतीत होगई अतएव हम लोग [बनत] को जाते हैं (क्योंकि इस समय किराणा में आर्य्यसमाज न था) और यदि दो दिन तक फिर भी पौराणिक पक्ष के पण्डित आ जावें और हम को सूचित किया जावे तो हम पुनरपि शास्त्रार्थ के लिये उपस्थित होंगे. निदान आर्य्य पण्डित बनत चले आये तब ता० १६ की रात्रि के ९ बजे हम को उर्दू पत्रद्वारा सूचना मिली कि पण्डित आगये शास्त्रार्थ को चलिये. इस निमन्त्रण के अनुसार हम आर्य्य लोग द्वितीय बार फिर किराणा में शास्त्रार्थ के लिये उपस्थित हुवे. और ता० १७ को हम ने यह खबर एक उर्दू पत्रद्वारा पौराणिक पण्डितों को दी कि हम दुबारा शास्त्रार्थ के लिये उपस्थित हैं नियमों की स्वीकारी से सूचित कीजिये. इस पर रात्रि के ९॥ बजे उत्तर मिला कि:—

श्रीः

मित्रवर मन्त्री आर्य्यसमाज बनत उपस्थित किराणा जय श्रीकृष्णचन्द्र की, कृपापत्र आप का आज (५) बजे सायंकाल पहुंचा देखकर अतिहर्ष हुवा. जिसमें यह वृत्तान्त लिखा था कि हम दो बार शास्त्रार्थ करने को आये. अब आप अपने (१) नियमों को लिख कर शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कीजिये. धन्य है आप को जिन के गुरु ऐसे सत्यवक्ता थे आप उन के शिष्य क्यों न हों। अब हमारे पण्डितों को (२) दो दिन हो चुके हैं आये हुये आप के साथ शास्त्रार्थ करने के अर्थ जैसे कि आप ने लिखा था। अब आप कब आये कहां और किस्के सामने शास्त्रार्थ करने को कहा ? ज्ञात होता है कि आप ने शोकावस्था में कोई. स्वप्न वा मनोराज्य देखा होगा अस्तु ॥ हमारे शास्त्रार्थ के नियम यह हैं कि विषयपाषाणादिमूर्त्तिपूजन। इस पर प्रमाण मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदस्मृति सूत्र और युक्ति होंगे इस्का प्रबन्ध ऐसा होगा कि शास्त्रार्थ संस्कृतभाषा में लिख कर होगा. प्रथमवादी अर्थात् आर्य्यसमाजी मूर्त्तिखण्डन के प्रमाण अपने पूर्वोक्त प्रमाणों से आध घण्टा लिख कर अपने हस्ताक्षर कर धर्मसभा पण्डित प्रतिवादी को देगा। प्रतिवादी उन प्रमाणों का खण्डन कर अपने मूर्त्तिपूजामण्डन पर उस्का डेवढ़ा

नोट (१) अपने बढ़ाया है ॥

(२) दो दिन कहां हुवे १६ ता० रात्रि के नौ बजे सूचित किया जिस पर १७ ता० ४ बजे हम उपस्थित हैं !!!

काल अर्थात् (४५) मिनट में अपने हस्ताक्षर कर वादी को देगा। उस पत्र का प्रत्युत्तर वादी उस्के डेवढ़ा काल अर्थात् (१) घण्टा ७॥ मिनट में पूर्वोक्त रीति से लिख कर देगा पश्चात् द्वितीय पत्र का प्रत्युत्तर वादी १ घण्टा ४१॥ मिनट में देगा। पूर्वोक्तरीति हस्ताक्षर कर देगा यह दोनों शास्त्रार्थ पत्र सभा में सुना दिये जावेंगे पश्चात् यह दोनों पत्र निर्णयार्थ इहां के मिस्टर एडिस साहब बहादुर कलेक्टर ऐम० ऐ० जिला के सेवा में या प्राफिसर संस्कृत लाहौर कालिज के सेवा में भेजे जावेंगे जिस पत्र को वेदादि प्रमाणों से उक्त जांच कर अपने हस्ताक्षर पूर्वोक्त महाशय वापस भेजैं गे वही पक्षी विजयी समझा जावैगा ॥ और इस्का जो व्यय अर्थात् खर्चा साहेब की फीस और हमारे तुम्हारे पण्डितों का खर्चा तथा हर्जः होगा वह पराजित पक्षी को देना होगा—यदि यह भी शास्त्रार्थ न मानो तब कल ताः १८। १२। ९३ को १ बजे दिन के स्थान मुंशी कुंवरसेन जी कायस्थ के में आप पधार के अपने सत्यवादी स्वामी दयानन्द को तथा उन के पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकाश मुद्रित १८८४ को सत्य कर दिखावो तब हम पराजित हो जावैंगे आप विजयी होंगे ॥

यदि यह दोनो सुगम शास्त्रार्थ रीति को न मानोगे अपनी गड़बड़ाध्यायी करोगे और शास्त्रार्थ न करो गे तब हमारे पण्डितों के बुलाने आदि का खर्च और हर्जः राजकीय नियमानुसार देने को योग्य होगे ॥ इस का स्वीकार या इनकार पत्रद्वारा आप हम को कल ताः १८। १२। ९३ (८) बजे दिने तक कृपा कर जीजियेगा ॥

यह पत्र हम ने आज नव ९ बजे रात्रि को भेजा है (नकल) हस्ताक्षर

पं० किशोरीलाल के

वक्तव्य—निम्नलिखित उत्तर आर्य्यों ने दिया यथाः—

ओ३म् किराणा १८। १२। ९३

श्रीयुत पं० किशोरीलाल जी

महाशय नमस्ते ! जब कि मैं सोगया था तो आप की चिट्ठी पं० तुलसी राम जी के पास आई प्रातःकाल पाकर उत्तर देता हूं. हमारा दो बार आना किराणा में प्रसिद्ध है यहां के सैकड़ों मनुष्यों ने देखा कि ता० १४ के सायङ्काल को हमारे पण्डित शास्त्रार्थ करने आये परन्तु जब देखा कि १५ के सायङ्काल तक

आप के पक्ष में पं० गोकुलानन्दादि नहीं आये. तब [बनत] को चले गये और आप की प्रतीक्षा करते रहे. जब १६ की रात्रि को आप ने अपने पण्डितों के आने की सूचना दी ता० १७ को हम फिर उपस्थित हुवे और हैं। फिर जो आप गाजरगुठली करते हैं इस से आप की इच्छा शास्त्रार्थ न करने की प्रतीत होती है—हम १२ । १२ । ९३ को नियम शास्त्रार्थ रजिस्टरी पत्रद्वारा आप को लिख चुके हैं कि वापिसी डाक नियमों को स्वीकार कर भेजिये. उन्हीं नियमों का स्वीकार हमने कल फिर मांगा था जिस पर आप नवीन अधूरे पक्षपात पूर्ण ३ नियम लिख कर शास्त्रार्थ को टालना चाहते हैं ऐसा कीजिये गा तो आप पर निस्सन्देह हमारी वृथा समय हानि करने का दोष स्थापित होगा.—

हम केवल ऋगादि संहिता चतुष्टय को मानते हैं अर्थ पर विवाद होगा तो ब्राह्मणादि हमारे नियमों में लिखित ग्रन्थों की साक्षिता अवश्य ली जायगी.—

हम तो केवल धर्म का निर्णय करने को शास्त्रार्थ करते हैं। आप रुपये की हारजीत द्वारा द्यूत भी खेलना चाहते हैं हम जुवा खेलना नहीं पसन्द करते हैं पं० जी ? आप पं० गोकुलप्रसाद जी की ऐंचातानी में न आइये शुद्ध हृदय से हमारे पूर्व प्रेषित नियमों को स्वीकार कर भेजिये कि शीघ्र शास्त्रार्थारम्भ हो जावे वृथा समय न खोइये। इति —

आप का प्रेमी

(उर्दू में हस्ताक्षर) रामकृष्ण

१८ । १२ । ९३ । ९ बजे प्रातः केम्प आर्य्यधर्मप्रचार किराणा (पत्र धर्मसभा की ओर से—)

श्रीः—

मित्रवर मन्त्री आर्य्यसमाज बतन उपस्थित किराना जोग श्री कृष्णचन्द्र जी की ॥

आप का कृपापत्र लिखा ता० १८ । १२ का हम को ९॥ बजे दिन के मिला समस्त वृतान्त ज्ञात हुआ ॥ मित्रवर हमारे नियमों के अन्तरगत सब आप के नियम शास्त्रार्थ आगये हैं जो कृपादृष्टि से देखिये गा ॥ अस्तु आज जो आप ने पूर्व नियमों का हवाला दे कर संहितामात्र को स्वीकार कर शास्त्रार्थ करना चाहते हो वह ९ नियम में भी लिखा है। अतः आप पहले इसी का शास्त्रार्थ कर लो कि १ पण्डित हमारा तथा १ आर्य्यसमाज का बाहर जा कर हमारे निम-मानुसार वेद निर्णय का शास्त्रार्थ अर्थात् संहिता ही को मान कर शास्त्रार्थ हो

सकता है कि मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद तथा सूत्र स्मृति विना माने शास्त्रार्थ हो सकता है । लिख कर उभय हस्ताक्षर कर प्रथम सभा में सुनावें पश्चात् वह वेद शास्त्रार्थ मिस्टर एडिस साहेब बहादुर एम० ए० संस्कृत के सेवा में भेजा जावे जो साहेब मोसूफ़ निर्णय कर दें उसी पक्षी की हार जीत समझी जावै गी ॥ और जो आपने लिखा कि हम जुवा नहीं खेलते हैं तब मित्र क्या कालिक्टर साहेब हमारे नौकर हैं जो विना फीस अपने अमूल्य समय को व्यर्थ खोवैं गे और विना खर्चा हर्जः दिये झूँठा पक्षी फिर भी और स्थान में ऐस ही मिथ्या-वाद करने को उपस्थित होगा अतः पहिले ही ५००) ५००) रु० आज कचहरी तहसील में जमा करा कर यह शर्त्त वहां लिखा दो कि जिस्को कालिक्टर साहेब वेद शास्त्रार्थ में हरा जिता दें वही पक्षी हारा जीता समझा जावै गा ॥ जयपक्षी वह रुपआ ५००) पाँचसौ फीस साहेब तथा अपने धर्म काम में लावै गा ॥ अस्तु—

यदि ऐ भी न हो सकैं तब क्या हमारा दूसरा शास्त्रार्थ नियम हमारे लिखे पत्र में नहीं देखा कि अपने स्वामी दयानन्द तथा उन के मिथ्या ग्रन्थों को जिन में सैंकडों मिथ्या पाखण्ड भरे हैं सैकडों से १० भी सिद्ध कर दो तब ५००) रुपआ लेने को योग्य होगे जो आध घण्टा में फैसल हो सकता है विना मध्यस्थ के । और जे उन मिथ्या—प्रमाणों से १० भी मूल ग्रन्थों से सिद्ध न कर सकौ गे तब ५००) देने के योग्य होगे । जो आज पहिले जमा करा लिया जावै गा ॥

विना द्रव्य दण्ड के कौन जानै गा देशान्तर में कि कौन हारा और कौन जीता. यदि आज भी इन पूर्वोक्त दोनौ नियमों को न स्वीकार करौ गे अपना उन्मत्त—प्रलाप ही करो गे तब आप पराजित हारे समझे जावो गे और हमारा खर्चा हर्जः के देनदार होगे ॥

आज विना इन दो नियमों के स्वीकार या इनकार के और व्यर्थ लिखा पढ़ी में समय व्यतीत न करना ॥

इस का उत्तर ठीक १२ बजे दिन तक मिलै ॥

ता० १८ । १२ । ९३ समय १० बजे हस्ताक्षर पं० किशोरीलाल के

ओ३म् किराणा ता० १८ । १२ । ९३

श्रीयुत पं० किशोरीलाल जी

महाशय नमस्ते.

कृपापत्र १० बजे प्राप्त हुआ उत्तर में निवेदन है कि यदि आप हमारे १२ ता० के भेजे २१ नियमों को अपने नियमों के अन्तर्गत समझते हैं तौ कृपा करके स्पष्ट-

तथा हमारे २१ उक्त नियम स्वीकृत करके ही भेज दीजिये क्योंकि आप की सम्मति में हमारे २१ नियम आप के विरुद्ध तो हैं ही नहीं किन्तु अन्तर्गत हैं— जब आप २१ नियमों को (जो १२ ता० को उर्दू में हम ने भेजे थे) स्वीकार पूर्वक हस्ताक्षर करके वापिस कर देंगे तब हम ५००) रुपये जमा करने आदि विषय का उत्तर देंगे क्योंकि विना नियमों के रुपया जमा करना न करना नहीं बन सकता विशेष क्या लिखूं। इति ॥

आप का प्रेमी रामकृष्ण

केम्प आर्य्यधर्मप्रचार किराणा १०॥ बजे १८ । १२ । ९३

वक्तव्य—इस पर धर्मसभा ने एक पत्र संस्कृत में भेजा उस की प्रति अक्षरशः छाप कर उस का आशय भाषा में प्रकाशित करें गे—परन्तु इस पत्र का उत्तर संस्कृत ही में हमारी ओर से जाने पर फिर धर्मसभा को संस्कृत लिखने का दुबारा साहस न हुवा अस्तु —

श्रीः

मित्रवर मन्त्रिन् आर्य्यसमाजकिराणोपस्थितविदितमस्तु किं यदस्माभिरुभयपत्रेषु स्वकीयेषु नियमा लिखिताः तेषामेभिर्विना (९)(१३)(२०) सर्वे स्वीकृता अतएव यदास्माभिर्युष्माकं नियमा उररीकृतास्सन्ति तथा तदास्मदीयनियमा अप्युररीकर्त्तव्या (१) तत्र प्रथमोयं नियमः मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदस्स्वतःप्रमाणम्। तथा स्मृतिसूत्रस्यापि (२) द्वितीयोऽयं दयानन्दमिथ्याराचितग्रन्थानां सत्यासत्यकरणे भविष्यति एतत् स्वीकारं कृत्वा ५००) पञ्चशतरूपकं तहसील इति राजकीयस्थाने निक्षेपं कृत्वा पूर्वोक्तयोर्द्वयोरेव शास्त्रार्थयोः करणे यद्येकोपि शास्त्रार्थः प्रथमो भविष्यति तथैव जयाजययोरस्माकं तथा युष्माकं जयपराजययोरस्माकं तथा युष्माकं श्रीमिष्टरएडिससाहब इति प्रसिद्धः निर्णयं करिष्यति य उभयपक्षान्मध्यस्थो भविष्यतीति अतः प्रथमं मन्त्रब्राह्मणात्मको

वेद अस्यैव मननोपरि भवद्भ्यः सूच्यते आज्ञास्ति एवं संस्कृत-भाषायामस्योत्तरमष्टघण्टाबादनात्पूर्वं देयमित्यलम् ॥

ता० १८।१२।९३ हस्ताक्षर पं० किशोरीलाल के

वक्तव्य—इस के साथ ही दूसरा पत्र विना हस्ताक्षर का आया सो भी नीचे उद्धृत किया जाता है यथाः—

श्रीः

भो आर्य्यसभोपदेशका श्रीमल्लिखितपत्रे संहितामात्रो वेदः इति मननं लभ्यते तत्रैवं प्रथमा विचारणा संहितामात्रो वेदइति केनाप्तवचनेन मन्यते प्रत्युत तद्विपरीतलक्षणं दृश्यते यथाहि कात्यायनसूत्रं मन्त्रब्राह्मणयोर्नामधेयं वेद इत्यात्मकमस्ति तदनुकूलं व्याकरणमहाभाष्यम्। यथाहि कियान् शब्दशास्त्रस्य विषयश्चत्वारो वेदास्साङ्गास्सरहस्या बहुधाभिन्ना एकशतमध्वर्युशाखा सहस्रवर्त्मा सामवेदएकविंशतिधाबाह्वृचं नवधाथर्वणो वेदः वाकोवाक्यमितिहासः पुराणम्। वैद्यकविद्या इत्येतावान् शब्दशास्त्रस्य विशयः एवमेव मनुवाक्ये प्रत्यक्षे दरिदृश्यते यथाहि उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्त्तते यज्ञइतीयं वैदिकी श्रुति इदञ्च वचनं ब्राह्मणभागेष्वेव लक्ष्यते नतु संहिताभागेषु यथा च उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यं समयाध्युषिते होतव्यमित्यात्मकं ब्राह्मणमस्ति विधिर्विधायक इत्यात्मकेन गौतमेन सूत्रेण ब्राह्मणवाक्यतायां निश्चयीकृतमस्ति एवं विधायकवचनानि ब्राह्मणग्रन्थेष्वेव मिलन्ति यथा अग्निहोत्रं जुहूयात् स्वर्गकामः अहरहस्सन्ध्यामुपासीत इत्यादीनि यथा हि श्रुतिप्रमाणको धर्म इति वैशेषिकसूत्रमस्ति तथाच श्रुतिप्रमाणकस्यैव स्वीकारे

कृते अहरहस्सन्ध्याचमनप्राणायामादिकरणे शन्नोदेवीरित्यादिभिः प्रमाणं नोपलभ्यते मन्त्रभागे यदि संहितामात्रेणाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यादि तर्हि विधायकत्वादुक्तगोतमीयसूत्रेण संहितानां ब्राह्मणत्वं संघटेत तर्हि संहितानामपि त्वन्मुखाद्ब्राह्मणवन्न प्रमाणमिति भवत्पक्षएव खण्ड्यते भवत्कथनादेव अन्यत्रापि समारोपणादात्मन्यप्रतिषेध इत्यस्य भाष्ये वात्स्यायनेन निरणायि यथान्यो मन्त्रब्राह्मणस्य विशयः अन्य इतिहासपुराणधर्मशास्त्रस्य यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य विशयः पुरावृत्तकथनमितिहासपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थानं धर्म्मशास्त्रस्य एभिर्वचनैरितिहासपुराणसञ्ज्ञाब्राह्मणेभ्योऽन्येषां सिद्धा तथा च इतिहासो भारतादि पुराणं ब्रह्मवैवर्त्तादि अतएव इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समनुबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहनिष्यति इति मनुवाक्ये वेदार्थस्वीकारे भारतादीनामपि प्रमाणं मन्तव्यमस्ति तथा चायमेव मनोराशयः वेदकथनेन मन्त्रब्राह्मणात्मको गृह्योऽयमेव जैमिनेर्भावः तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शेषे ब्राह्मणशब्दः अस्यायं भावः तस्य वेदस्य चोदका तेषां यत्र मन्त्र इति व्यवहारास्स मन्त्रात्मकः शेषो ब्राह्मणात्मक इत्यलम् । शेषमग्रे

उत्तर आर्य्यों की ओर से यथा—

ओ३म् १८ । १२ । ९३

श्रीयुत पं० किशोरीलाल शर्म्मन्नमस्ते,

श्रीमत्प्रेषितं पत्रमागतं तदुत्तरयता सहासं मया निवेद्यते यत् ९।१३।२० एतत्संख्याकान्नियमान्विहायाऽन्यान् स्वीकुर्वाणाः सर्वानेवास्मल्लिखितनियमान् पुनर्भवन्तः (१८—यावदुक्तविषय-

द्वयात्मकः शास्त्रार्थो न समाप्तिं गमिष्यति नहि तावदपरः कश्चित्प्रस्तावः केनापि शक्ष्यते कर्तुम्) इत्यस्मल्लिखितसर्वनियमान्तर्भूताऽष्टादशनियमस्वीकारे सति उक्तप्रतिमार्चासूतश्राद्धविषयाभ्यां भिन्नं वेदसञ्ज्ञाविचारात्मकं विषयमारभमाणाः कथं नाप्रकृतविषयारम्भात् अर्थान्तरादिनिग्रहग्रहगृहीताः यथोक्तं न्यायदर्शने "प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्" इति यच्च पूर्वार्य्यभाषालिखितस्वीयपत्रे " अस्मन्नियमान्तर्गतास्सर्वे भवन्नियमा " इति विन्यस्तं पूर्वं श्रीमद्भिस्तत्र यदि सर्वेऽप्यस्मन्नियमा भवन्नियमान्तर्गताः तर्हि कथं पुनर्नवम, त्रयोदश, विंशा न स्वीक्रियन्ते पूर्वं स्वीकृत्यानन्तरमस्वीकारो हि प्रतिज्ञान्तररूपनिग्रहस्थाने पातयति भवतः। अत्राह गोतमः प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पात्तदर्थनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्" इदानीं विरम्यते विस्तरभिया परन्तु नास्माभिर्विषयान्तरमारभ्यते कुतो यत आहुर्गोतमाचार्य्याः निग्रहस्थानप्राप्तस्याऽनिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षण" मिति शास्त्रपथमनुसरन्तो वयं निग्रहग्रहगृहीतान्भवत उपेक्ष्य नहि पूर्वोक्तनिग्रहस्थानं गमिष्यामः इति भवत्प्रेष्ठो रामकृष्णः

१८ । १२ । १३ अष्टघण्टानादसमये लिखितम्

पं० किशोरीलालकरकमलयोर्विलसतु पत्रमदः किराणास्थधर्मसभायाम् ॥

संस्कृत पत्रों का सङ्क्षिप्ताशय देशभाषा में—

पौराणिकों के पत्रों का आशय—

मित्रवर मन्त्री आर्य्यसमाज विदित हो कि आप के नियमों में ९। १३। २० नियमों को छोड़ अन्य सब स्वीकृत हैं हम ने तुम्हारे नियम मान लिये सब

तुम हमारे नियमों को मान लो प्रथम यह है कि मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद स्मृति सूत्र ये स्वतः-प्रमाण होंगे. द्वितीय यह कि दयानन्द के मिथ्या ग्रन्थों के सत्यासत्य का निश्चय. हमारे यह दो नियम स्वीकार कर ५००) तहसील में जमा करके पूर्वोक्त दोनों शास्त्रार्थों में से यदि एक भी होगा तो मिस्टर एडिस साहब हमारी तुम्हारी हार जीत का निश्चय कर देंगे जो दोनों ओर से मध्यस्थ हैंगे प्रथम मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद है इस पर विचार होगा आशा है कि आठ ८ बजे तक इस का उत्तर संस्कृत में देना.

ह० किशोरीलाल के

द्वितीय पत्राशय—

हे आर्य्यसमाज के उपदेशको ! आप ने जो संहितामात्र वेद मानकर लिखा भी है सो कौन से प्रमाण से ? किन्तु आप के विरुद्ध कात्यायन कहते हैं कि मन्त्रब्राह्मणयोर्नामधेयं वेदः और व्याकरण महाभाष्य में भी शब्दशास्त्र का विषय कितना है यह प्रश्न करके उत्तर दिया है कि ४ वेद अङ्गों और रहस्यों। सहित १०० यजुः की शाखा १००० साम की २१ ऋग् की ९ अथर्व की शाखा आदि २ इतना शब्द शास्त्र का विषय है तथा मनु में भी « उदितेऽनुदिते » इत्यादि वाक्य वैदिकी-श्रुति कहा और उदिते होतव्यम् इत्यादि ब्राह्मण में मिलता है संहिता में नहीं तथा गोतम ने भी « विधिर्विधायकः » इस सूत्र से विधायकों को विधिवाक्य कहा सो ब्राह्मण में विधायक वाक्य हैं जैसा—अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यादि तथा वैशेषिक सूत्र में «श्रुतिप्रमाणवाला धर्म है» ऐसा कहा है सो प्रतिदिन सन्ध्या आचमन प्राणायामादि का उपदेश «शन्नो देवी» इत्यादि मन्त्रों से नहीं मिलता. और यदि विधायकवाक्य संहिताओं में भी हो तो आप ही के मुख से गौतम सूत्रानुसार (विधिर्विधायकः) आप का पक्ष खण्डन होता है क्योंकि संहिता को भी ब्राह्मणत्व सिद्ध होने से अप्रमाणता हुई. (समारोपणा०) के भाष्य में वात्स्यायन कहते हैं कि मन्त्रब्राह्मण का विषय यज्ञ है और पुरावृत्तान्त इतिहास पुराण का विषय तथा लोकव्यवहार व्यवस्था धर्मशास्त्र का विषय इससे सिद्ध हुवा कि ब्राह्मणों से भिन्न महाभारतादि की इतिहास और ब्रह्मवैवर्त्तादि की पुराण संज्ञा है और जैमिनि भी (तच्चोदकेषु मन्त्राख्या, शेषं ब्राह्मणशब्दः) करके मन्त्र का शेष ब्राह्मण बतलाते हैं अतएव वेद का भाग ब्राह्मण हुवा—शेष आगे.

उत्तर आर्य्यों की ओर से का भाषार्थ संक्षिप्त—

ओ३म् १८ । १२ । ९३

श्रीयुत पं० किशोरीलाल जी

नमस्ते. आप का (संस्कृत) पत्र आया उस के उत्तर में निवेदन है कि जब हमारे (२१) नियमों में केवल ९ । १३ । २० को त्याग कर अन्य स्वीकृत हैं तो अठारहवां स्वीकृत हुवा जिस में लिखा था कि जब तक मूर्त्तिपूजा व मृतश्राद्ध पर शास्त्रार्थ समाप्त न हो ले तब तक अन्य विषय पर न होगा (देखो नियम १८ पृष्ठ ५) यदि यह स्वीकृत है तो आप ने जो मन्त्रब्राह्मणपरक शास्त्रार्थ आरम्भ किया इस से आप न्यायशास्त्र (प्रकृतादर्थात्०) सूत्रानुकूल [अर्थान्तर] नामक विग्रह में गिरे । और पूर्व जो हिन्दी के पत्र में आप ने हमारे सब नियमों को अपने नियमों के अन्तर्गत कह कर स्वीकारा था तब फिर अब ९ । १३ । २० के अस्वीकार करने से आप (न्यायदर्शन—प्रतिज्ञाता०) सूत्रानुसार [प्रतिज्ञान्तर] नामक निग्रह में भी आगये. परन्तु यदि आप के समान हम भी उभय स्वीकृत प्रतिमा-पूजा, मृतश्राद्ध को त्याग आप के मन्त्रब्राह्मणात्मक लेख का उत्तर लिखें तो [पर्य्यनुयोज्योपेक्षण] नामक निग्रह स्थान में आवें सो हम ऐसा न करेंगे—क्योंकि निगृहीत की उपेक्षा, [पर्य्यनुयोज्योपेक्षण] कहाती है—आप का प्यारा रामकृष्ण

१८ । १२ । ९३ । ८ बजे धर्मसभा में पं० किशोरीलाल जी को मिले.

मन्त्रब्राह्मणात्मक लेख पर टिप्पणी—प्रथम तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध इस विषय का लेख ही उन को हमारे उल्लिखित न्यायसूत्र के अनुसार निग्रहस्थान में गिराता है तिस पर भी उन के प्रमाणों की समीक्षा दिग्दर्शनमात्र की जाती है । यथाः—

कात्यायन का यह वचन कि—"मन्त्रब्राह्मणयोर्नामधेयं वेदः" यज्ञ परिभाषा होने से केवल यज्ञविषय में चरितार्थ हो सक्ता है न सर्वत्र. तथा व्याकरणमहाभाष्य में—"कियान् शब्दशास्त्रस्य विषयः" इत्यादि से शब्दशास्त्र भर अभिप्रेत है न कि वेद. तब समस्त ग्रन्थ वेद नहीं हो सक्ते किन्तु शब्दशास्त्र हैं इस से ब्राह्मण को वेदत्व नहीं आता.

उदितेऽनुदिते चैव इत्यादि मनुवाक्य भी केवल यज्ञविषयक होने से सर्वत्र ब्राह्मण का वेदत्वसाधक नहीं—

विधिर्विधायकः यह न्यायसूत्र विधि का लक्षण करता है न कि वेद का अतएव "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यों की विधिवाक्यता सिद्ध होती है न कि वेदता शन्नोदेवीः आदि मन्त्र यथार्थ में आचमनादि क्रियाओं का संकेत करते हैं क्योंकि [अब् लिङ्ग] अर्थात् जल की व्याख्या युक्त हैं—यह भी कोई प्रमाण है कि संहिता में विधिवाक्य होने से उस की ब्राह्मणता सिद्ध हो जावे यदि ऐसा हो तब तो समस्त धर्मशास्त्रादि के विधिवाक्यों को ब्राह्मणत्व सिद्ध होजावे. "समारोपणा०" के भाष्य में जो मन्त्रब्राह्मण का विषय यज्ञ है ऐसा लिखा है इस से मन्त्रब्राह्मण की वेदसञ्ज्ञा नहीं आती किन्तु दोनों का विषय यज्ञ है ॥ रही यह बात कि इतिहास पुराण का विषय भिन्न लिखने से ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा नहीं—सो अप्रकृत है इस पर शास्त्रार्थ नहीं है कि ब्राह्मणों को ही इतिहासादि कहते हैं वा अन्य को न हमारे पत्रों में ऐसी प्रतिज्ञा है कि ब्राह्मणों की इतिहास संज्ञा है तथा यदि ब्राह्मणों से इतिहास भिन्न भी हो तब भी ब्राह्मण, वेद—नहीं हो सकते. यूं तो मनुस्मृति से इतिहास भिन्न है तब क्या मनुस्मृति वेद, हो गई यह नियम नहीं कि जिस की इतिहासादि संज्ञा न हों उस की वेदसंज्ञा आवश्यक हो इत्यादि. शेष आगे—

इस पर धर्मसभा से संस्कृत में लिखने का साहस न रहने से भाषा में निम्नलिखित पत्र आया यथाः—

श्रीः

मित्रवर मन्त्री आर्य्यसमाज बनत उपस्थित किराना को ज्ञात हो कि हम ने शास्त्र परीक्षार्थ आप को संस्कृत पत्र भेजा था सो शास्त्र में अन्धपरम्परा न्याय लिखा है वह सत्य है वा मिथ्या। ज्ञात हुवा कि सत्य है कि आप के गुरू घण्टाल दयानन्द के गुरू विरजानन्द [अन्धत्र्यैयाकरण] थे उन के चेले दयानन्द जिन्हों ने प्रथम ग्रन्थ व्याकरण का वाक्यप्रबोध बनाया है जिस में अनेक अशुद्धियाँ है वह ग्रन्थ भी हमारे पास मौजूद है तथा दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश छपा १८८४ के सूची (८) समुल्लास में लिखा है कि (ईश्वरभिन्नस्याः प्रकृतेः) यही अन्धपरम्परा १८८७ तथा ९१ में ही छपी हैं। हम जानते थे आप व्याकरण नैयायिक या वैदिक होगे तब हमारे संस्कृत मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद मानने पर कुछ उत्तर लिखोगे। वह तब कुछ न हो सका। यह लिख मारा कि आप निग्रहस्थान में आ गये हो। धन्य हैं। यदि आप के पत्र में अशुद्ध पदों तथा निग्रह

का वर्णन करें तब दूसरा प्रकरण हो जावे गा तथा तुम्हारे बालबोधार्थ भाषा ही में लिखते हैं कि हमने तुम्हारे (२०) नियमों का उत्तर व नाम भीमसेन जिस का नाम तुम ने अपने नियम पत्र में मिथ्या लिखा था उस्के नाम से रजिस्टरी करा ता० १५ । १२ को भेज दिया था जिस्की रसीद हमारे पास है जब ज्ञात हुवा कि तुम्हारा लिखना मिथ्या है कि भीमसेन नहीं आया तब आप को नागरी पत्र जिस्में हमारे (३) नियम हैं उन्हीं नियमों में तुम्हारे १७ नियम अन्तरगत हैं तिस्का विवरण यह है कि तुम्हारा ९ । २० नियम अस्वीकार करने पर हमने मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद स्मृति सूत्र लिखा । यदि आप को प्रथम संहिता ही वेद स्वीकार हो स्वतः प्रमाण और न ऐतरेयादि ब्राह्मण तथा स्मृति सूत्र तब इस पर शास्त्रार्थ कर लो प्रथम । इस्से ९ । २० नियमों का निर्णय हो जावेगा । जब कोई मध्यस्थ मानो गे तब इस्से १३ नियम का खण्डन है कि तुम कहो गे हम जीते हम कहें गे हम जीते सब अपने २ बुद्ध्यनुसार शास्त्रार्थ का परिणाम विचार लेवें गे । अयि बालमित्र जब दो वादी मुद्दयी मुद्दाअलेह लड़ते हैं तब बिना न्यायाधीश के उन का [फैस] कौन कर सकता है यदि मुकदमः फौजदारी तब बिना दण्ड के एक मिथ्यावादी कब बच सकता है अतः हमने ५००) रु० का पण जय-पराजय पर लिखा है । यदि मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद का शास्त्रार्थ न कर सकौ तब दयानन्द मिथ्या ग्रन्थों में ही सत्यासत्य का शास्त्रार्थ बिना मध्यस्थ के कर लो ५००) के हार जीत पर । यह तीन नियमों के बराबर लिखने पर भी न कुछ उत्तर देते हो यही तुम्हारी पण्डित्य है कि निग्रहस्थान में आप आगये हो ॥ धन्य यदि हम निग्रह का लक्षण लिखें तब तुम्हारे समक्ष में स्वप्न में भी न आवें गा । और दूसरा प्रकरण हो जावे गा । अतः उस्को और व्याकरण अशुद्धियों को नहीं लिखा । अब अन्त्य में फिर आप को लिखते हैं कि जहां २ तुम्हारे गुरू ने शास्त्रार्थ किया है वहां २ हारे हैं ऐसे ही तुम समाजी लोग । व्यर्थ लिखने में काल को व्यतीत करते हो । यदि तुम्में कोई पण्डित हो तब आज हमारे व्याख्यान स्थान में १२ बजे आवो वहां पोलिस का सब प्रबन्ध आदि नियमों का हो जावे गा । यदि न आ सकौ तब हम को अपने व्याख्यान स्थान में बुलावो आप पोलिस आदि का बन्दोबस्त करलो । वा तहसील में ५ । ५ ही पुरुष चलो प्रथम ५००) स्थापन कर विरुद्ध ३ नियमों पर विवाद दूर कर शास्त्रार्थ मन्त्रब्राह्मणात्मक पर वा दयानन्द मिथ्या ग्रन्थों के सत्यासत्य पर शास्त्रार्थ हो वह मिस्टर ऐडिस

वा प्राफ़ेसर लाहौर के पास निर्णयार्थ भेजा जावै इस्के निर्णय होने पर मूर्त्ति-पूजन आह्वादि भी शास्त्रार्थ कर लो। यदि आज इस पत्र का उत्तर यथाक्रम न लिखो गे व यथाक्रम न मानो गे तब तुम्हारा पत्र (तन्न भवति) वाला न लिया जावै गा। हमारे खर्चा हर्जः के व्यर्थ काल व्यतीत करने से देने के योग्य अदालत से होगे। इस्का उत्तर आज यथाक्रम १० बजे ता० १९। १२ तक देवे। ता० १९। १२। ९३। ७ बजे प्रातः द० किशोरीलाल—

ओ३म् किराणा १९। १२। ९३

श्रीयुत महाशय पं० किशोरीलाल जी योग्य.

नमस्ते. आप जो हमारे स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को मूर्ख आदि सिद्ध करने पर अधिक घमण्ड करते हैं और उस महात्मा को बुरे शब्दों से पुकारते हैं यह तो प्रकरण विरुद्ध और असभ्यता नहीं समझते और जब हमने आप को निग्रहस्थान में घेरा उस का उत्तर विना दिये यह समझ लेना कि इस का उत्तर तो आप की समझ में न आवे गा ऐसा कह कर टालते हैं। निग्रह का अर्थ कदाचित् न समझने से ही आपने उत्तर न दिया हो तो हम समझा देते परन्तु आप तो अपने मुख से ही दयानन्दसरस्वती जी को हार २ पुकारते हैं इस से आप की जीत नहीं होगी किन्तु निर्णय के पश्चात् हारजीत का शब्द कहना चाहिये श्री पं० भीमसेन शर्मा जी के पास आपने उत्तर क्यों भेजा मेरे ही पास भेजते तो इतना विलम्ब ही क्यों होता. शास्त्रार्थविषयक नियमों पर बातचीत तो मुझ से और उत्तर कहते हो कि प्रयाग भेज दिये। धन्य हैं! पराजित पक्ष को इतना दण्ड ही बहुत है कि श्रोता लोग पराजित पक्ष को हीन समझ त्याग देंगे धन दण्ड की आवश्यकता सांसारिक झगड़ों में होती है पारमार्थिक में नहीं। हमारा आप का वाद परमार्थ में है। यह आपने बड़ी कृपा की कि हम को अपने स्थान में बुलाया है सो हम आप के पास बारह बजे आयेंगे आप पोलिस का प्रबन्ध कीजिये वा न कीजिये. यदि आप शान्तिपूर्वक बातचीत करें गे और अपने पक्ष के साधारण पुरुषों को रोक सकें गे तो पुलिस का प्रबन्ध भी हो वा न हो हम तो ग़रीब लोग आप के नगर में धर्मप्रचार व शास्त्रार्थ के लिये आये हैं आप हम को शान्तिपूर्वक आसनादि दे कर नियमों का विवाद दूर कर लीजियेगा. जिस से प्रकृत प्रतिमापूजादि विषयक शास्त्रार्थ में विघ्न न हो ॥

आप का प्रेमी रामकृष्ण १० बजे दिन १९। १२। ९३

श्रीः

मित्रवर मन्त्रिन् बनत उपस्थित किराणा जय श्रीकृष्ण

इस हमारे पत्र का जो हमने यथाक्रम उत्तर [कु] लिखा था सो [आफ] ने कोई क्रम न लिखा कि हम मन्त्र ब्राह्मण पर प्रथम निश्चय करेंगे के ये वेद है या दयानन्दरचित ग्रन्थों के सत्यासत्य पर. इन दोनों विषयों का उत्तर नहीं लिख कर द्रव्य दण्ड से इनकार लिखा अतः पूर्वोक्त दोनों विषयों मै सें किसी विषय पर शास्त्रर्थ करना स्वीकार कर तत्पश्चात् मूर्त्तिपूजा शास्त्रार्थ समाप्त होने पर साहब के निर्णय के पश्चात् ५००) रुपया जयपराजय पर लिया दिया जावेगा यदि इस वख्त [आफ] के पास न हो तौ मूर्त्तिपूजा के जयपराजय के बाद को लिख दीजिये गा. दैनेलेने का पारलौकिक व्यवहार विना लौकिक व्यवहार के होता नहीं ॥ द्रव्य व्यय का [प्रश्न] प्रथम आप ही कि तरफ् से हुवा था उत्तर शीघ्र यथाक्रम भेज के हमारे पास सभा स्थान में पधारो ता० १९।१२।९३

हस्ताक्षर किशोरीलाल पं०

प्रिय पाठकगण ! यह पत्र १२ बजे के पास ही हमारे पास आया उस समय हम धर्मसभा वालों के स्थान में ही शास्त्रार्थ के निमित्त जाने को तैयार थे अतएव यह सोच कर इस का उत्तर वहीं दे देंगे सभास्थान को चले—जिन के मकान पर सभा थी उन्हों ने उर्दू में रुक्का लिख भेजा आर्यों के पास कि आप मेरे मकान पर आवेंगे सो कुछ विघ्न न होगा आप विश्वास रक्खें किन्तु जो संस्कृत न पढ़ा हो वह बातचीत शास्त्रार्थ में न बोले। हम ने यह स्वीकार किया और सभास्थान में पहुंचे वहां स्थानाधीश ने एक ओर पौराणिकों की मेज कुरसी लगा रक्खी थी दूसरी ओर आर्य्यों के लिये भिन्न मेज कुरसी लगाई थी जब हम ने मेज पर समस्त वेदवेदाङ्गों के पुस्तक लगाये तब पौराणिक पक्ष में से पं० गोकुलानन्द बोले कि यह मेज किस का है !!! कि जिस पर आर्य्यपुस्तकें रखते हैं स्थानाधीश ने कहा कि हमारी है जो हम ने उन के वास्ते भी लगाई है तब गोकुलानन्द जी चुप हुवे. प्रथम हमारे पं० तुलसीराम स्वामी ने प्रस्ताव किया कि आज तक जो पत्र व्यवहार हुवा है सो सब हम भरी सभा को सुनायें गे कि जिस से सभा यह जान लेवे कि अब तक पत्रों में टालमटोली और बेक़ायदा बातें कौन पक्ष लिखता रहा इस को पौराणिकों ने नामंजूर किया क्योंकि पत्र पढ़े जाते तो पोल खुलती और कहा कि हमारे पत्रों का यथाक्रम उत्तर नहीं दिया। इस

पर पं० तुलसीराम स्वामी ने कहा कि सब पत्रों को हम सभा में सुना दें कि जिस से यह प्रतीत हो जावे कि कौन यथाक्रम उत्तर नहीं देता. इस पर भी पौराणिकों ने कहा कि सब पत्र पढ़ने में समय नष्ट होगा इत्यादि २ तब पं० तुलसीराम स्वामी के कथनानुसार हम ने यह लिख दिया कि–

ओ३म् किराणा १९।१२।९३

श्रीयुत पं० किशोरीलाल जी नमस्ते. क्रमबद्ध अब तक आप ने उत्तर दिये वा हम ने यह बात आज सभ्य पुरुषों के सामने तै होगी अब तक आप कहते हैं कि आप के उत्तर यथाक्रम नहीं हम कहते हैं कि आप के नहीं. अतएव आज जुबानी वक्तृताओं आदि से आज तक का वृत्तान्त स्पष्ट हो जावेगा इति ॥

आप का प्रेमी रामकृष्ण.

पाठकगण! इतने पर भी पौराणिकों ने पत्रों का पढ़ा जाना और उन पर बहस करना नहीं स्वीकार किया. और पं० गोकुलानन्द ने प्रकृत प्रतिमापूजादि विषयक शास्त्रार्थ को त्याग कहा कि दयानन्दरचित समस्त पुस्तकें अशुद्ध हैं और आर्य्यसमाज का यह नियम ३ "वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है आदि २" किस शास्त्र के अनुकूल है और वेद में समस्त विद्याऐं कहां है इत्यादि तब पं० तुलसीराम स्वामी ने उत्तर दिया कि यद्यपि दयानन्दसरस्वतीरचित पुस्तकें वा आर्य्यसमाज का ३ नियम शुद्ध है वा अशुद्ध इस पर शास्त्रार्थ नहीं है किन्तु वेदों में प्रतिमार्चा वा मृतश्राद्ध है वा नहीं इस पर शास्त्रार्थ ठहरा है ऐसी दशा में यदि दयानन्दसरस्वती की पुस्तकें वा नियम शास्त्रविरुद्ध अशुद्ध भी हों तौ भी इस नियत विषय के शास्त्रार्थ में हमारी कोई हानि नहीं और पं० गोकुलानन्द का कथन प्रकरणविरुद्ध है हम को इस पर बहस नहीं करनी है परन्तु इतना तौ भी कहते हैं कि मनु ने भी यह माना है कि "भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति" अर्थात् जो हुवा जो है जो होगा सो सब वेद से प्रसिद्ध होता है" इस से भी सिद्ध है कि वेद में भूतभविष्य वर्त्तमान की उपयोगी सब विद्याऐं हैं उसी के व्याख्यानरूप से ऋषि लोग विद्याओं का प्रकाश करते रहे। इस पर पं० गोकुलानन्द ने मनुस्मृति का पुस्तक आकर पटक दिया और कहा कि यह श्लोक मनु में दिखाओ तो कहां है झूंठे प्रमाण देते हैं इस पर दो मिनट तक ढूंढने से न मिला तब तौ पौराणिकों के हर्ष का ठीक न रहा मारे हर्ष के आपे से बाहर हुवे जाते थे कि इतने ही में हमारे पं० गोविन्दसहाय जी ने उक्त श्लोक ढूंढ कर पं० तुलसीराम स्वामी को

इशारा किया और पं० तुलसीराम ने समस्त सभा को दिखा दिया कि जिस का जी चाहे बांच ले, और कहा कि बस अब पौराणिक परास्त समझने चाहिये क्योंकि उन्हों ने यह कहा था कि यह श्लोक मनु में नहीं है जब मनु में निकल आया तब उन को अपना पक्ष त्याग देना चाहिये इत्यादि—तब पं० गोकुलानन्दादि बोले कि ५००) रुपये की हार जीत लिखो इस पर प्रथम तो पं० तुलसीराम ने यही कहा कि यदि किसी के पास ५००) न हों तब क्या उस का पक्ष ही ठीक न माना जायगा. परन्तु पौराणिकों के हठ पर हम ने यह भी स्वीकार किया कि अच्छा नियमों पर हस्ताक्षर करिये हम ५००) का प्रबन्ध भी कर देंगे तब तो पं० गोकुलानन्द जी यहां से भी हटे और कहने लगे कि तुम हमारा वक्त ख़राब करते हो यदि तुम को करना है तो १०।१० मिनट वक्त लेकर तफ़रीह के वास्ते गुफ्तगू करो नहीं तो जाने दो इत्यादि पं० गोकुलानन्द सदा ऐसे क्रोध में बोलते थे कि समस्त सभ्य पुरुष अपने जी में उन को जाने क्या ख़याल करते होंगे अस्तु. हमने यह भी स्वीकारा कि खैर विना नियमों के ही हम को १०।१० मिनट के समय विभाग से जुबानी शास्त्रार्थ भी स्वीकृत है परन्तु प्रथम आप संहिता से प्रतिमा पूजा १० मिनट में सिद्ध करें तब हम १० मिनट में खण्डन करेंगे पं० गोकुलानन्द ने मुसलमानों की ओर इशारा करके कहा कि कोई शख्स कुरान शरीफ़ के १५ सिपारों को (आधे कुरान को) मान कर कहे कि इतने से ही फ़लां बात साबित कर दो तब क्या इलाज है इसी प्रकार ये लोग संहितामात्र वेद के एक हिस्से को मानते हैं और कहते हैं कि इतने ही से मूर्त्तिपूजा सिद्ध कर दो इत्यादि तब पं० तुलसीराम स्वामी ने उत्तर दिया कि यदि आप संहिताओं को केवल वेद का एक भाग मानते हैं और दूसरा भाग ब्राह्मणादि ग्रन्थों को। तब यह लिख दो कि संहिताभाग से प्रतिमापूजा सिद्ध नहीं होती किन्तु दूसरे भाग ब्राह्मणादि से सिद्ध होती है—जब आप यह लिखदेंगे तब हम आप के अभिमत ब्राह्मणभाग से सिद्ध हुए मूर्त्तिपूजन को भी स्वीकार कर लेंगे. परन्तु पौराणिक अपने जी. में जानते थे कि संहिता से सिद्ध नहीं होता ऐसा लिखने पर हमारा पराजय हमारे ही मुख से स्पष्ट हो जावेगा अतएव टालमटोले कर प्रथम यही शास्त्रार्थ करना चाहा कि "मन्त्रब्राह्मण दोनों वेद हैं वा मन्त्र ही"। हमने यह भी स्वीकार किया तब इस प्रकार शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ. प्रथम पौरा-

णिक पण्डितों में से पं० गोकुलचन्द जी खड़े हुए और १० मिनट में निम्न लिखित प्रमाण ब्राह्मणों के वेद होने में दिये। यथा —

१—मन्त्रब्राह्मणयोर्नामधेयं वेदः इस कात्यायन सूत्र से सिद्ध है कि मन्त्र व ब्राह्मण दोनों वेद हैं तथा—

२—मान्त्रवार्णिकमेव इत्यादि व्याससूत्र पर भाष्यकार तावानस्य महिमा इत्यादि ब्राह्मण का उदाहरण लिखते हैं इस से सिद्ध है कि भाष्यकार ब्राह्मण को वेद मानते हैं. तथा—

३—तच्चोदकेषु मन्त्राख्या। शेषे ब्राह्मणशब्दः इन जैमिनि सूत्रों से सिद्ध है कि चोदक मन्त्रों से शेष जो वेद भाग है उस की ब्राह्मण संज्ञा है इस से भी सिद्ध है कि ब्राह्मण वेदों का शेष भाग होने से वेद हैं इत्यादि तथा—

४—चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः इत्यादि महाभाष्य से भी सिद्ध है कि ४ वेद अङ्गों व रहस्यों सहित हैं जिन में ऋग्वेद की २१ यजुः की १०० साम की १००० अथर्व की ९ शाखा वेदों में शामिल हैं इत्यादि. तथा—

५—तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः। न्यायसूत्र पर वात्स्यायन भाष्य में "पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत" इत्यादि ब्राह्मण वाक्य उदाहरण दिये हैं जिस से सिद्ध है कि वात्स्यायन को ब्राह्मणों का वेद होना अभीष्ट था। तथा—

६—उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा।
सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः॥

मनु कहते हैं कि उदित, अनुदित; समयाध्युषित सर्वथा यज्ञ वर्त्तमान है यह वैदिकी श्रुति है॥ सो यह श्रुति ब्राह्मण में मिलती है अतएव अनुमान होता है कि मनु जी ब्राह्मण को वेद मानते थे। तथा—

७—न वियदश्रुतेः। वेदान्तसूत्र पर शङ्कराचार्य्य कहते हैं कि आकाश की उत्पत्ति वेद में लिखी है यथा-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादि ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं इस से सिद्ध है कि व्यास जी आकाश की उत्पत्ति को वेदविरुद्ध कहते थे अतएव उस पर शङ्कराचार्य्य दिखलाते हैं कि वेद (उक्त वचन ब्राह्मण का है) में आकाश की उत्पत्ति लिखी है इस से सिद्ध है कि व्यास तो नहीं किन्तु शङ्कराचार्य्य ब्राह्मणादि को वेद मानते हैं॥

इतना कह कर १० मिनट बीत गये तब इस का उत्तर पं० तुलसीराम स्वामी ने हमारी ओर से इस प्रकार दिया । यथाः—

ओ३म्

पं० गोकुलचन्द जी का प्रथम प्रमाण (मन्त्रब्राह्मणयोः०) कात्यायन की यज्ञपरिभाषा है अतएव उस की प्रवृत्ति सर्वत्र नहीं हो सक्ती क्योंकि परिभाषा केवल अपने विषय में प्रवृत्त होती है न कि सर्वत्र, आशय कात्यायन का यह है कि जहां २ यज्ञप्रकरण में हम [वेद] शब्द का उच्चारण करें वहां २ मन्त्र व ब्राह्मण दोनों समझो । इस से सब जगह मन्त्र और ब्राह्मण वेद नहीं माने जा सक्ते । जैसे पाणिनिमुनि अष्टाध्यायी में कहते हैं कि (वृद्धिरादैच्) (अदेङ्गुणः) अर्थात् जहां २ [वृद्धि] पद का व्याकरण में हम प्रयोग करें वहां २ आ, ऐ, औ ये ३ अक्षर समझो और जहां २ [गुण] पद का प्रयोग करें वहां २ अ, ए, ओ ये ३ वर्ण समझो इस से यह नहीं सिद्ध हो सक्ता कि सर्वत्र [वृद्धि] पद से आ, ऐ, औ समझे जावें और दर्शनशास्त्रों में [गुण] पद से अ, ए, ओ का ग्रहण कोई बुद्धिमान् नहीं करेगा—यद्वा, किसी ने अपने पुस्तक में यह संकेत कर लिया कि लफ़्ज़ (अलिफ़) से [आर्य्य] समझो और लफ़्ज़ (बे) से पौराणिक । और फिर (अलिफ़) व (बे) की बहस शुरू हो तो क्या कोई अक़्लमन्द शख़्स (अलिफ़) या (बे) के माने सचमुच सब जगह [आर्य्य] वा [पौराणिक] समझेगा ? कभी नहीं । इसी प्रकार कात्यायन का वचन भी ब्राह्मण की वेदसंज्ञा का विधायक नहीं—तथा—

२—मान्त्रवर्णिक० व्याससूत्र जो टीकाकार ने (तावानस्य महिमा०) इत्यादि उदाहरण दिया यह उस की भूल है क्योंकि शुद्धपाठ यजुः संहिता के ३१ अध्याय में (एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभू०) इत्यादि मौजूद है अतएव उस को यह वेदवाक्य शुद्ध २ उदाहरण में रखना था—इस से सिद्ध हुवा व्यास जी ने तो सूत्र का लक्ष्य इस यजुर्मन्त्र को रक्खा था टीकाकार ने भूल वा अज्ञान से अन्यत्र का उदाहरण लिख दिया अतएव ब्राह्मण वेद नहीं । तथा—

३—शेषे ब्राह्मण शब्दः का अर्थ भी जैमिनि के अभिप्राय तथा प्रकरण के विरुद्ध किया क्योंकि जैमिनि जी स्वयं [शेष] पद का अर्थ बतलाते हैं कि (शेषः परार्थत्वात्) ब्राह्मण शेष इस लिये कहाते हैं कि पराया अर्थ करते हैं अर्थात् वेद का अर्थ करते हैं अतएव सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण वेद नहीं किन्तु वेद के अर्थ करने वाले टीकारूप हैं । तथा—

४–(चत्वारो वेदाः साङ्गाः) इत्यादि व्याकरण महाभाष्य में भी शब्दशास्त्र का विषय बतलाया है कि (कियान् शब्दशास्त्रस्य विषयः) शब्दशास्त्र का विषय कितना है ? उत्तर चार वेद अङ्गों और रहस्यों सहित तथा १०० यजुः की शाखा १००० साम की २१ ऋग् की ९ अथर्व की वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, वैद्यक इतना शब्दशास्त्र का विषय है–इस कहने से ब्राह्मणादि ग्रन्थ, शब्दशास्त्र हुए परन्तु वेद नहीं हुए. और यदि (चत्वारो वेदाः) इतने से ४ वेद के अन्तर्गत समस्त ब्राह्मणादि समझे जाते तो उन २ के नाम भिन्न न आते इस से भी सिद्ध है कि महाभाष्यकार ने ४ वेदों से ब्राह्मणादि को भिन्न समझा तभी तो भिन्न ग्रहण किया अतएव ब्राह्मणादि वेद नहीं । तथा–

५–(तदप्रामाण्यमनृतव्या०) इत्यादि न्यायसूत्र पर भी जो वात्स्यायन जी ने (पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत) ब्राह्मणवाक्य दिया सो यहां भी कुछ वेद परीक्षा प्रकरण नहीं किन्तु शब्दप्रमाण की परीक्षा है सो हम यह कब कहते हैं कि ब्राह्मण [शब्दप्रमाण] में नहीं हैं किन्तु हम तो यह कहते हैं कि ब्राह्मण वेद नहीं [शब्दप्रमाण] (मनकूलशहादत) अवश्य ब्राह्मण हुवे परन्तु वेद पद का तो न सूत्र में न भाष्य में लेशमात्र भी नहीं अतएव ब्राह्मण वेद नहीं–तथा–

६–उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्त्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ इस मनु के श्लोकस्थ "वैदिकी श्रुतिः" ये दो पद भी ब्राह्मण परक नहीं क्योंकि ब्राह्मण में भी उक्त श्लोक के सदृश पाठ नहीं यदि मान भी लिया जाय कि आशय मिलता है तो आप के मतानुसार कात्यायन परिभाषा से केवल यज्ञविषयक ही है अन्यत्र नहीं अतएव ब्राह्मण वेद नहीं । तथा–

७–न वियदश्रुतेः इस व्याससूत्र में व्यास जी आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते क्योंकि वेदविरुद्ध है–ब्राह्मण को वेद नहीं मानते संहिता में लिखी नहीं. व्यास के विरुद्ध जो शङ्कराचार्य्य "तस्माद्वा एतस्मा०" इस ब्राह्मणवाक्यानुसार आकाश की उत्पत्ति मानते हैं सो वेदविरुद्ध और व्यासविरुद्ध और मूलविरुद्ध व्याख्या है अतएव व्यास के सामने उन के विरुद्ध शङ्कराचार्य्य का वचन प्रमाण नहीं. तथा हम पण्डित जी को यह भी सम्मति देते हैं कि वह शङ्कर का प्रमाण न दें क्योंकि शङ्करदिग्विजय में उन के भावी शास्त्रार्थ प्रतिमापूजा के विरुद्ध भी लेख मिलेंगे जो पं० जी को कठिनाई में डालेंगे. यथाः–

पुस्तकग्रहण क्रमांक 1707
दयानन्द महिला

शाक्तैः पाशुपतैरपि क्षपणकैः कापालिकैर्वैष्णवैरप्यन्यैरखिलैः खिलं खलु खलैर्दुर्वादिभिर्वैदिकम् ॥ मार्गं रक्षितुमुग्रवादिविजयं नो मानहेतोर्व्यधात्सर्वज्ञो न यतोऽस्य सम्भवति संमानग्रहग्रस्तता ॥ शङ्करदिग्वि० सर्ग १५ श्लोक ६५ ॥

शङ्कराचार्य्य जी ने देवी के उपासक, पशुपति के उपासक, क्षपणक, कापालिक, वैष्णव तथा अन्य समस्त खलों के साथ जो शास्त्रार्थ करके विजय किया सो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिये नहीं किन्तु केवल वैदिक मार्ग की रक्षा के लिये अतएव हम पं० जी को सम्मति देते हैं कि वह शङ्कर का प्रमाण न दें क्योंकि ऐसा करने से उन को आगे कष्ट में पड़ना होगा. हम व्यास के मूलसूत्र को मानते हैं उस के विरुद्ध शङ्कराचार्य्य को नहीं अतएव ब्राह्मण वेद नहीं इतना कह कर उन के दिये सातों प्रमाणों का उत्तर पं० तुलसीराम स्वामी दे चुके तब पं० गोकुलचन्द जी का खड़े होने का भी साहस न हुवा परन्तु पं० गोकुलानन्द जी एक कोरा कागज़ हाथ में ले कर कहने लगे कि देखो हमारे पं० जी ने एक दो. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २० प्रमाण दिये परन्तु आर्य्य पं० ने सिवाय नहीं २ के कि ये भी नहीं ये भी नहीं अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया. इस पर पं० तुलसीराम ने कहा कि हमारी मान्य संहिता को हम तुम दोनों प्रमाण मानते हैं अतएव हम को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं तुम को ब्राह्मण का वेदत्व सिद्ध करना था जिस को हम नहीं मानते उस पर आप के पं० गोकुलचन्द्र जी ने जो २ प्रमाण दिये उन २ का मैंने उत्तर दे कर स्पष्ट किया कि उक्त प्रमाण आप के पक्ष को पुष्ट नहीं करते. इत्यादि ॥

इस पर बहुत से लोग «सनातन धर्म की जय» बोलते खड़े हो गये और उठते हुए कुछ पौराणिकों ने एक साधारण मुसलमान से यह कहलाया कि «मेरी समझ में आर्य्य पण्डित ऐसी गुफ्तगू करते हैं जैसी [नेचरिये] और हिन्दू पण्डित ऐसी जैसी कि हम अहले इसलाम» जिस का तात्पर्य्य कुछ न था क्योंकि जब [नेचरिये] व मुसलमानों में बहस हो और [नेचरिये] वा मुसलमान दोनों में से एक परास्त हो जायं तब इस दृष्टान्त से आर्य्य वा हिन्दुओं की जय पराजय उक्त मुसलमान के कथनानुसार निकले अस्तु अन्त में कई प्रतिष्ठित रईस मुस-

लमानों ने आर्य्यों के पक्ष की प्रबलता हस्ताक्षर युक्त लिख दी जिन की अक्षर २ की नक़ल हम नागरी अक्षरों में अन्त में प्रकाशित करेंगे पाठकगण वहां पढ़ लेवें. इस शास्त्रार्थ का परिणाम यह हुवा कि बाज़ार के कई वैश्यों ने आकर आर्य्यों से निवेदन किया कि आप का विजय हुवा आप बाज़ार में एक दो व्याख्यान दे कर समाज स्थापित कीजिये बहुत लोग समाज में भरती होंगे और आर्य धर्म स्वीकारेंगे. तदनुसार पं० तुलसीराम स्वामी ने व्याख्यान दिये और २२ दिसम्बर सन् ९३ को श्रीमान् लाला हरवंशलाल साहूकार किराना के स्थान पर हवन हुवा और नगरनिवासी २३ तेईस प्रतिष्ठित पुरुषों ने समाज में नाम लिखाया। परमेश्वर इस समाज को चिरायु करे। विशेष धन्यवाद मैं पं० तुलसीराम स्वामी उपदेशक आर्य्यप्रतिनिधिसभा पश्चिमोत्तर देश तथा अवध को देता हूं कि जो किराना में १५ दिसम्बर सन् ९३ को सराय में ठहरे जब कि किराने में कोई सामाजिक सहायक इतना प्रबल न था कि उन को ठहरा कर सहायता द्वारा शास्त्रार्थ कराता. परन्तु धन्य पं० तुलसीराम जो ऐसे असहाय नगर में शास्त्रार्थ से न हटे। द्वितीय धन्यवाद यहां के जैनियों को है जिन्हों ने धर्मनिर्णयार्थ ठहरने को हमें स्थान तथा फ़र्श आदि—सब प्रकार की सहायता दी. अब अन्त में जो एक मुसलमान ने आर्यों की बार्त्ता नेचरियों के सदृश और हिन्दुओं की मुसलमानों के सदृश बतलाई थी उस के विरुद्ध कई रईस व मौलवी मुसलमानों ने आर्य्यों का विजय लेखद्वारा प्रमाणित किया वह लेख उर्दू से नागरी करके अक्षर २ छापते हैं. विद्वान् लोग समझ लेंगे। इति ॥

ह० रामकृष्ण मन्त्री आ० स० बनत

जिला, मुज़फ़रनगर

हस्ताक्षर नामा मुबाहसा जलसा माबैन आर्य्यधर्मप्रचारक कैम्प किराना व धर्मसभा किराना— जिला, मुज़फ़्फ़रनगर

मैं क़रीब ४५ मिनट के जलसे बहस में बैठा रहा जिस मसले पर मेरे रोबरू बहस हो रही थी उस में क़वी दलायल आर्य्यधर्म के पण्डित साहब के और वह मसला वेद की तहक़ीक़ात और ब्रह्म परमेश्वर के वहदानियत का था अगरचे मैं हर दो मज़हब से वाक़िफ़ नहीं हूं—मगर अक़्ल इस बात को दरयाफ़्त कर सकती है कि किस फ़रीक़ की हुज्जत पुर ज़ोर और लायक़ वसूक़ है—

रिवायात नक़्ली को मैं कुछ नहीं समझ सकता था न मैं उस की निस-बत कुछ राय ज़ाहिर कर सकता हूं—न करना चाहता हूं मगर दलायल अक़्ली और क़वायद सर्फ़ी नहब जो आर्य्यधर्म के पण्डित साहब ने अपनी पुरज़ोर तक़रीर में बयान फ़रमाये वह इन्साफ़ाने तौर पर पण्डितान धर्मसभा की दलायल और क़वायद से बदरजहा बहतर और पुरज़ोर थे—तीन दलायल अपनी तक़रीर में आर्य्यधर्म के पण्डित साहब ने बयान की थीं उन में से दो (२) का जबाब दलायल नक़्ली से जिस को मैं पहिले कह चुका हूं कि मैं नहीं समझ सकता दिया गया मगर एक (१) दलील का मुतलक़ जबाब दिया ही नहीं गया अब उस के मायनी इस में आग़ाज़ करने की ज़रूरत नहीं है—

ह० सादिक़हुसेन वकील मुनसफी १

तहरीर मुन्दर्जे बाला से मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूं—

ह० मुहोमदहुसेन वख़ूश (फारसी) २

मैं शुरू वक्त से ता इख़्तिताम जलसे नहीं बैठा सिर्फ़ क़रीब दो (२) घण्टे के हाज़िर जलसे रहा बवजह होने वक्त नमाज़ के उठ कर जलसे मज़कूरे बाला से चला आया लेकिन बहालत नशिश्त मेरी जहां तक मैं गौर करता हूं तक़रीर पण्डित आर्य्यधर्म की शायद इन्साफ़ाना वह पुरज़ोर थी लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला मगर पंडितान हिन्दू के (ने) तीन (३) कलमे ख़िलाफ़त तहज़ीब के इस्तेमाल किये जिस में के उन की तौहीन होती थी मगर पंडितान् आर्य्य निहायत तहज़ीब वो कुशादा पेशानी से जवाब देते थे ह० फ़ैज़उल्ला ३

रायबाला से मुत्फ़िक़ हूं। ह० अहमदहसन ४

मेरी राय शरीक राय मुन्शी सादिक़हुसेन मुत्फ़िक़ है इस क़दर मैं भी ठहरा था—ह० अमानतअली वकील ५ मैं क़रीब दो (२) घंटे के सभा में हाज़िर रहा और हर दो फ़रीक़ की गुफ़्तगू खूब सुन्ता रहा मगर मुझ को ज़ुबान संस्कृत से वाक़फ़ियत नहीं है इस बाइस से मसायल नक़्ली को कुछ नहीं बयान कर सकता हूं मगर दलायल अक़्ली जो ज़ुबान गोहरे फ़िशां जनाब पंडित तुलसी-राम से सभा में आये निहायत मुदल्लपुर तक़रीर मुनासिब मालूम होते थे मगर मैं मज़कूर फ़िक़रे दो बारा तहरीर करता हूं के मुझ को मसायल नक़्ली की रजीह या गैरतरजीह का कुछ इल्म नहीं मगर दलायल माक़ूल बोहत मुस-

तहसन और क़ाबिल तारीफ़ थे और ज्यादे में कुछ नहीं तहरीर कर सकता मगर तक़रीर पंडितान हनूद की गुफ़्तगू मसायल अक़्ली में ज्यादे ज़ोर नहीं रखती थी के बहुज्जत नियाज़मन्द। मगर सवाल आख़िर उलज़िकर पंडित आर्य्य का जवाब पंडितान साहब हनूद ने नहीं दिया ह० मोहोमद ज़फ़रयाबअली (बख़्ते इंगरेजी) ६

मैं सभा में मौजूद था पंडित की तक़रीर अक़्ली बहुत ज़ोर की थी और एक (१) सवाल का जवाब पंडित साहब मोसूफ़ का पंडितान हिन्दू ने नहीं दिया ह० ख़्वाजे मोहामदअहसन ७

रायबाला से मैं मुत्फ़िक़ हूं ह० (ठीक नहीं पढ़े गये अतएव नहीं छपे) ८ ॥

इति० ॥

विज्ञापन ॥

पुस्तक नं... 17
हिसार

स्वामी औषधालय-

निरन्तर ५ वर्ष से विना मूल्य दवा बाट कर अनुभव किया है

ज्वरघ्नभस्म । एक महात्मा साधु की बताई हम ने हजारों रोगियों पर
आजमाई है । अद्वितीय दवा है पुरानी हड्डी तक के ज्वर को नाश करती है
१०० में ९५ आरोग्य होते हैं। जाड़ा ज्वर, नित्य का ज्वर, तेइया चातुर्थिकादि नये
पुराणे सब ज्वरों का नाश करती है। धातुपुष्टि और बलकारक है प्रति तोला १)

२ दद्रुघ्न दाद कैसी पुराणी क्यों न हो. लगता नहीं । १ डिब्बी ॥)

३ दर्द उदर की दवा । अजीर्णादि किसी कारण से हो २०० खुराक १)

४ खांसी की गोली-१०८ का दाम १) आठ घड़ी में ही आराम प्रतीत होगा-

५ प्रसूत स्त्री को दवा १०० में ९९ को आराम १ बोतल २)

६ सुधाञ्जन (सुरमा) नेत्र के सब रोगों पर। बड़े परिश्रम से बना है १ तोला ॥)

७ अतीसारारि चूर्ण ॥) डिब्बी । ५) दक्षिणा ले कर देशीय साबुन बनाना
भी सिखाते हैं ॥

पता-पं० ~~कुट्टनलाल स्वामी...~~

गुरु विरजानन्द स्मृति
सन्दर्भ पुस्तकालय 1707
प्रतिग्रहण क्रमांक ....
दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

पुस्तकें—

बिना गुरु से पढ़े हुवे अपने आप संस्कृत सीखना हो तौ १ संस्कृत प्रथम पुस्तक)॥। द्वितीय पु० -)। तृतीय पुस्तक ≡) चतुर्थ भी छपने वाला, मँगा कर पढ़िये. ॥

२—ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दुपरागे प्रथमोंशः -)॥ द्वितीयोंशः -)॥। ३—भजन -) ४—सन्ध्या अर्थ सहित)॥ ५—भजनप्रकाश)। ६—रामायण का आल्हा पह मार)॥। ७—अष्टाध्यायी मूल ≡) ८—भर्तृहरिशतक भाषा टीका सहित नीति ९—गणरत्नमहोदधि यह एक कोष है जिस में संस्कृत के कठिन शब्दों का अ और व्युत्पत्ति मालूम होती है मू० १॥) रु० मनुभाष्यभूमिका २) १०—"तारीखु नियां" संसार की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुवे ज्ञात होता है ≡) ११—शास्त्रार्थ विष्णुगढ़ -) १२—जीवब्रह्म का शास्त्रार्थ -)॥ १३—यज्ञोपवीत क्यों पहनते कान पर क्यों लटकाते हैं इन का उत्तर -) १४—फ़ीनेतमाशबीनी वा वेश्यानाट (वेश्यागामियों की दुर्दशा दिखाई है =)॥ १५—व्याख्यान देना सीखो तौ -)। " सत्यासत्यविचार " मँगालो ॥

१६—"स्त्रियों को पढ़ने योग्य" मातृशिक्षा ।=) कामिनीकल्पद्रुम ॥) कुमारी भूषण -) उपनिषद् संस्कृतटीका व भाषाटीका सहित लीजिये ईश ≡) केन कठ १) प्रश्न ॥।) मुण्डक ॥।-) माण्डूक्य ।) तैत्तिरीय १) ये सात उपनिषद् भिन्न तौ ४।) के हैं परन्तु जो सातों इकट्ठे लेंगे उन को ३॥) मात्र. विदुरनीति मू =) दशोपनिषद् मूल ।-) हुक्कादोषदर्पण ॥) चाणक्यनीति मूल)॥ जीवसान्त विवेक -) शास्त्रार्थखुरजा -) जीवनयात्रा ४ आश्रमों के धर्म हैं ≡) आर्यसमाज के नियम ≡)। सैकड़ा । रामचन्द्र जी का दर्शन आधा पैसा । कलि काशीमाहात्म्य आध पैसा इकट्ठे पुस्तक लेने वालों को ४) में ५) के पुस्तक में १०) के पुस्तक २०) में ३०) के पुस्तक और ५०) में १००) के पुस्तक मिलेंगे ।

पता—पं० तुलसीराम वा छुट्टनलाल स्वामी

परीक्षितगढ़ (जि० मेरठ)